तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्वर अहका हुक्म में ज
8-6-17 हरिराम	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प बाढकलां पर पेश हुई। वादी हरीराम उप० है। वादी विभाजन स्कीम के अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर सहमत है। अत: वादी का दावा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (बाबूलाल जाट) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय
कलेक्टर ए
मुकदमा नम्बर
79/2014
हरिराम पुत्र दे
1. रतनलाल पु
2. मंगलराम पु
3. लैण्ड होल्ड
उपस्थित :—श्री
उपरोक्त
कि भूमि ख0नं
वादी का 1/2
संख्या 2 का 15
काश्त करते च
लगान अदायगी
है। वादी ने इस
को उन्होने इन्क
डिक्री करनाया
विभाजन किया
कायम किया जा
कि वे वादी के
बाधा उत्पन्न नहीं
दावा दर्ज
प्रतिवादीगण बाब
एकतरफा कार्यवाह
वादपत्र के
प्रदर्श–1. नकल न
कराए हैं।
वादी के वि
5.12.2014 को प्रा

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
79/2014	1.7.2014	8.6.2017

हरिराम पुत्र देवकीलाल जाति रैगर निवासी गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. रतनलाल पुत्र सेड्या जाति बैरवा निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. मंगलराम पुत्र नोल्या जाति बैरवा निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री हरिराम रैगर, गंगापुर सिटी, वादी

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादी हरिराम ने इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 223 रकबा 1.61 हैक्टर ग्राम बाढकलां में स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 2/161 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 157/322 हिस्सा है। पक्षकार उपरोक्त भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं । भूमि संयुक्त रूप से दर्ज रहने के कारण लगान अदायगी में समस्या आती है। वादी भूमि का विभाजन कराना चाहता है। वादी ने इसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कहा तो दिनांक 25.6.14 को उन्होने इन्कार कर दिया। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 223 रकबा 1.61 हैक्टर ग्राम बाढकलां का विभाजन किया जावे। वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का पृथक से खाता कायम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के हिस्से में आई भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 प्रदर्श–1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 पेश किए हैं एवं वादी हरिराम के बयान कराए हैं।

वादी के विद्धान वकील की बहस सुनी जाकर वादी का दावा दिनांक 5.12.2014 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई। नायब तहसीलदार गंगापुरसिटी के पत्र

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

क्रमांक एनटी/15/स्पेशल–1 दिनांक 27.4.2015 द्वारा विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर बाढकलां पर पेश हुई। विभाजन स्कीम पर वादी को सुना गया। वादी ने नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने पर अपनी सहमति दी है । फलस्वरूप नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 223 रकबा 1.61 हैक्टर ग्राम बाढकलां का वादी एवं प्रतिवादी नं0 1, 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता हैः–

1. वादी हरिराम पुत्र देवकीलाल जाति रैगर निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 223/1 रकबा 0.80 हैक्टर ग्राम बाढकलां रहेगी ।
2. प्रतिवादी रतनलाल पुत्र सेड्या जाति बैरवा निवासी बाढकलां की खातेदारी में भूमि ख0नं0 223/2 रकबा 0.02 हैक्टर ग्राम बाढकलां रहेगी ।
3. प्रतिवादी मंगलराम पुत्र नोल्या जाति बैरवा निवासी बाढकलां की खातेदारी में भूमि ख0नं0 223 रकबा 0.79 हैक्टर ग्राम बाढकलां रहेगी ।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2017 को लोक अदालत कैम्प बाढकलां में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकददने इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी कैम्प बाढकलां

इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

हरिराम पुत्र देवकीलाल जाति रैगर निवासी गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. रतनलाल पुत्र सेड्या जाति बैरवा निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. मंगलराम पुत्र नोल्या जाति बैरवा निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 54/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हरिराम वकील मिनजानिब मुददई –– मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 223 रकबा 1.61 हैक्टर ग्राम बाढकलां का वादी एवं प्रतिवादी नं0 1, 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

1. वादी हरिराम पुत्र देवकीलाल जाति रैगर निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि खाना0 223/1 रकबा 0.80 हैक्टर ग्राम बाढकलां रहेगी ।
2. प्रतिवादी रतनलाल पुत्र सेड्या जाति बैरवा निवासी बाढकलां की खातेदारी में भूमि खाना0 223/2 रकबा 0.02 हैक्टर ग्राम बाढकलां रहेगी ।
3. प्रतिवादी मंगलराम पुत्र नोल्या जाति बैरवा निवासी बाढकलां की खातेदारी में भूमि खाना0 223 रकबा 0.79 हैक्टर ग्राम बाढकलां रहेगी ।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 8.6.2017 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
खर्चा अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		